I/31148/2023

I/31148/2023

*Phone & Fax no. 0135-2658294* *E-mail: cfshiwa-forest-uk@nic.in*

# कार्यालय वन संरक्षक, शिवालिक वृत्त, उत्तराखण्ड, देहरादून।

सेवा में,

**अपर प्रमुख वन संरक्षक/ नोडल अधिकारी**
**उत्तराखण्ड, देहरादून।**

विषयः– उत्तराखण्ड राज्य के जनपद देहरादून में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या–7 के भानियावाला–जौलीग्रान्ट–ऋषिकेश कि0मी0 0.000 से कि0मी0 19.780 तक के चार लेन चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण विषयक–आनलाईन वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव संख्या–**FP/UK/ROAD/146663/2021** के सम्बन्ध मे।

संदर्भः– भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, परियोजना कार्यान्वयन ईकाई–वसन्त विहार, मकान संख्या–171, फेज वसन्त विहार, देहरादून के पत्रांक–**NHAI/PIU/VV/2023/Bhaniyawala-Rishikesh/Forest/5080,** दिनांक–01.08.2023।

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र के क्रम में अवगत कराना है कि आपके द्वारा प्रस्ताव पर मागी गयी आपत्ति पर आख्या हेतु पत्र लिखा गया है। प्रभागीय वनाधिकारी, देहरादून द्वारा अपन उपरोक्त संदर्भित पत्र द्वारा 07 बिंदुओं की सूचना इस कार्यालय को निम्न प्रकार प्रेषित की गयीः–

| क्र0सं0 | आपत्ति | प्रत्युत्तर |
|---|---|---|
| 1 | परियोजना निदेशक भा0रा0रा0प्रा0 पी0आई0यू0 वसन्त विहार (देहरादून) द्वारा अवगत कराया गया है कि संदर्भित परियोजना देहरादून, ऋषिकेश व जौलीग्रान्ट एयरपोर्ट में आने जाने वाले यातायात को कम करने के उद्देश्य से विकसित की जा रही है। संदर्भित परियोजना हेतु देहरादून वन प्रभाग की बड़कोट, ऋषिकेश एवं थानों रेंज में कुल 19. 8345 है0 वन भूमि का प्रत्यावर्तन भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को गैर वानिकी प्रयोग हेतु किया जाना है। परियोजना की कुल लम्बाई 20.600 कि0मी0 में से 9.170 कि0मी0 भाग वन क्षेत्रान्तर्गत से होकर गुजर रहा है, जिसमें विभिन्न प्रजाति एवं व्यास वर्ग के कुल 4442 वृक्ष प्रभावित हो रहें है। इसके अतिरिक्त उक्त परियोजना में गैर वन भूमि (सड़क किनारे) पर विभिन्न प्रजाति एवं व्यास वर्ग के 2.15 वृक्ष एवं नाप भूमि पर विभिन्न प्रजाति एवं व्यास वर्ग के 209 वृक्ष भी प्रभावित हो रहे है। परियोजना निदेशक द्वारा यह भी अवगत कराया गया कि संदर्भित परियोजना अन्तर्गत वन्यजीवों/हाथी के आवागमन हेतु 05 ऐलिफेन्ट अण्डरपास प्रस्तावित है। प्रमुख वन संरक्षक (हॉफ) एवं अन्य उपस्थित वनाधिकारियों द्वारा उक्त प्रस्ताव के अवलोकनोपरान्त यह पाया कि इस रोड़ पर यातायात कम है एवं जाम की स्थिति नहीं | इस परियोजना से कुल 4442 पेड़ प्रभावित है जिनमें से 1085 छोटे पौधे (Saplings) हैं। छोटे पौधे (Saplings) को आसानी से प्रत्यारोपित किया जा सकता है। यदि छोटे पौधे (Saplings) को हटा दिया जाए तो काटे जाने वाले पेड़ों की संख्या 3357 होगी। इस संबंध में बिन्दुवार आख्या निम्न प्रकार हैः–<br><br>1. भानियावाला–ऋषिकेश वाया जौलीग्रांट एक महत्वपूर्ण राष्ट्रीय राजमार्ग है जो जौलीग्रांट हवाई अड्डे को देहरादून के सभी तरफ से कनेक्टिविटि प्रदान करता है। इस मार्ग के द्वारा चार धाम की ओर जाने वाले तीर्थयात्री एवं ऋषिकेश और मसूरी को जाने वाले पर्यटकों को हिमाचल, हरियाणा और पंजाब से कनेक्टीविटि प्रदान होती है। इस मार्ग पर वर्तमान समय में यातायात 17000 से 19000 पीसीयू (Passenger Car Unit) तक है। आई0आर0सी0 (Indian Road Congress) मानदंडों के अनुसार, दो–लेन राजमार्ग के संरेखण में ज्योमितीय कमी के कारण सुधार की आवश्यकता है। परियोजना का कार्य पूर्ण होने तक (वर्ष 2026) यातायात और बढ जाएगा। साथ ही इस मार्ग हाथीयों की आवाजाही रहती है जिससे कई बार यातायात बाधित होता है। उपरोक्त और कई अन्य कारकों के कारण, इस राजमार्ग को 4–लेन मानकों मे अपग्रेड करना अति आवश्यक है।<br>2. पूर्व में कई संरेखणों पर विचार किया जा चुका है **(संलग्नक–01)**, जिसमें से वर्तमान में प्रस्तावित संरेखण को स्वीकार कर लिया गया क्योंकि इसमें सबसे कम वन भूमि शामिल थी। चूंकि वर्तमान राजमार्ग पहले से ही मौजूद है और वर्तमान राजमार्ग के सामान्तर चौड़ीकरण प्रस्तावित है, इसलिए परियोजना हेतु केवल 10–12 मी0 अतिरिक्त वन भूमि की आवश्यकता है।<br>3. एलिवेटेड हाईवे का विकल्पः वृक्षों के पातन की संख्या कम से कम करने को दृष्टिगत रखते हुए वन क्षेत्र में 4–लेन राजमार्ग निर्माण हेतु न्यूनतम 23 मी0 आरओडब्ल्यू लिया गया है, जिसमें हाथी अण्डरपास (EUPs) की चौड़ाई भी 23 मी0 ही है। जब की नाप भूमि में 4–लेन चौड़ीकरण हेतु कुल 30–36 मी0 का भूमि अधिग्रहण किया गया है। अतः यदि पूर्ण वन क्षेत्र में उन्नत संरचना (Elevated Structure) |



Generated from eOffice by RAJIV DHIMAN, RAJIV DHIMAN_CF SHIVALIK, CF SHIVALIK, FOREST DEPT on 02/08/2023 06:49 pm

| | | |
|---|---|---|
| | होती है। साथ ही इस परियोजना के चौडीकरण में कुल 4442 वृक्ष प्रभावित हो रहें है, जो कि अत्यधिक हैं। यदि इतने वृक्षों का पातन उक्त परियोजना हेतु किया जायेगा तो इससे उक्त क्षेत्र के पारिस्थितिकी तंत्र पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की प्रबल सम्भावना है। अतः उक्त के दृष्टिगत प्रमुख वन संरक्षक (हॉफ) द्वारा परियोजना निदेशक, भा0रा0रा0प्रा0, पी0आई0यू0–वसन्त विहार (देहरादून) को निर्देश दिये गये कि इस परियोजना के 4–लेन चौड़ीकरण की आवश्यकता एवं उपयोगिता के संबंध में पुनर्विचार किया जाय। | प्रस्तावित की जाती है, तब भी वृक्षों के पातन की संख्या में कोई कमी नहीं आयेगी।<br>4. वन खंड में लगभग 8 कि0मी0 लम्बाई में 2–लेन से 4–लेन तक चौड़ीकरण प्रस्तावित है। जिसमें 04 हाथी अण्डरपास कुल 3.060 कि0मी0 की लंबाई में प्रस्तावित किए गये हैं। हाथी अण्डरपास वाले भाग में प्रभावित वृक्षों की संख्या लगभग 1500 (Saplings सहित) है।<br>5. इसके अलावा इस परियोजना में 1 मेजर ब्रिज, 2 माईनर ब्रिज तथा 19 कलवर्ट का भी प्रावधान वन क्षेत्र में किया गया है, जिससे जंगली जानवर क्रॉस कर सकते है।<br>6. साथ ही साथ यह भी अवगत कराना है कि यह प्रस्ताव दिनांक 16.04.2022 को परिवेश पोर्टल पर अपलोड किया गया था। परियोजना को परिवेश पोर्टल पर अपलोड करने से पूर्व एक प्रस्तुतिकरण राज्य सरकार के समक्ष दिनांक 11.11.2020 को किया गया था, जिसमें प्रमुख सचिव, वन, उत्तराखण्ड शासन, नोडल अधिकारी, एवं तत्कालीन वन संरक्षक शिवालिक वृत्त भी उपस्थित थे। इस बैठक के उपरान्त जारी कार्यवृत्त **(संलग्नक–02)** में इस परियोजना के संरेखण पर वन्य जीवों के सुगम आवागमन सुनिश्चित करने के निर्देश के साथ लिखित सहमति प्रदान की गयी है। तदोपरान्त दिनांक 10.02.2021, 28.07.2021 को वन विभाग के विभिन्न अधिकारियों / कर्मचारियों के साथ संयुक्त सर्वेक्षण किया गया। इसके अतिरिक्त मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक (CWLW) के साथ भी दिनांक 07.07.2022 को संयुक्त निरीक्षण किया गया जिसमें विश्व वन्यजीव कोष (World Wildlife Fund) के प्रतिनिधि भी शामिल हुए, विश्व वन्यजीव कोष द्वारा दिये गये सुझावों को भा0रा0रा0प्रा0 द्वारा परियोजना में सम्मिलित किया गया।<br>7. अतः यह भी अवगत कराना है कि उक्त संरेखण वन्यजीव एवं वन क्षेत्र पर न्यूनतम प्रभाव को ध्यान में रखते हुए निर्धारित किया गया है एवं इस संरेखण पर विगत 2 वर्षों तक डी0पी0आर0 अध्ययन किया गया है तथा परियोजना के निर्माण हेतु टेंडर प्रक्रिया भी अंतिम चरण में है। |

अतः अनुरोध है कि उपरोक्तानुसार परियोजना निर्माण के संबंध में अग्रेत्तर कार्यवाही किये जाने पर विचार करना चाहें।

**संलग्नकःउपरोक्तानुसार**

**भवदीय**

**(राजीव धीमान)**
**वन संरक्षक,**
**शिवालिक वृत्त, देहरादून।**

**पत्रांकः–** / **तद्दिनांकित।**

**प्रतिलिपिः–** प्रभागीय वनाधिकारी देहरादून वन प्रभाग, देहरादून को उनके उपरोक्त संदर्भित पत्र के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।

**(राजीव धीमान)**
**वन संरक्षक,**
**शिवालिक वृत्त, देहरादून।**



Generated from eOffice by RAJIV DHIMAN, RAJIV DHIMAN_CF SHIVALIK, CF SHIVALIK, FOREST DEPT on 07/08/2023 06:49 pm

I/31148/2023

# कार्यालय, प्रभागीय वनाधिकारी, देहरादून वन प्रभाग, देहरादून।

पत्रांक 467 /12–1 देहरादून, दिनांक 04 अगस्त, 2023

कार्यालय वन संरक्षक शिवालिक वृत्त
पत्रावली सं0 121
रजिस्टर सं0 1418
दिनांक 07/08/2023

कार्यालय वन संरक्षक, शिवालिक वृत्त, उत्तराखण्ड देहरादून
दिनांक 5/8/23

सेवा में,

वन संरक्षक,
शिवालिक वृत्त,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

विषयः– उत्तराखण्ड राज्य के जनपद देहरादून में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या–7 के भानियावाला–जौलीग्रान्ट –ऋषिकेश कि0मी0 0.000 से कि0मी0 19.780 तक के चार लेन चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण विषयक–आनलाईन वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव संख्या–FP/UK/ROAD/146663/2021 के सम्बन्ध मे।

संदर्भः– भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, परियोजना कार्यान्वयन ईकाई–वसन्त विहार, मकान संख्या–171, फेज वसन्त विहार, देहरादून के पत्रांक–NHAI/PIU/VV/2023/Bhaniyawala-Rishikesh/Forest/5080, दिनांक–01.08.2023.

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र के क्रम में अवगत कराना है कि अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, देहरादून ने अपने पत्रांक 101 दिनांक 20.07.2023 के द्वारा प्रस्ताव पर मागी गयी आपत्ति पर आख्या हेतु पत्र लिखा गया है। कार्यदायी संस्था द्वारा अपन उपरोक्त संदर्भित पत्र द्वारा 07 बिंदुओं की सूचना इस कार्यालय को निम्न प्रकार प्रेषित की गयीः–

| क्र0सं0 | आपत्ति | प्रत्युत्तर |
|---|---|---|
| 1 | परियोजना निदेशक भा0रा0रा0प्रा0 पी0आई0यू0 वसन्त विहार (देहरादून) द्वारा अवगत कराया गया है कि संदर्भित परियोजना देहरादून, ऋषिकेश व जौलीग्रान्ट एयरपोर्ट में आने जाने वाले यातायात को कम करने के उद्देश्य से विकसित की जा रही है। संदर्भित परियोजना हेतु देहरादून वन प्रभाग की बड़कोट, ऋषिकेश एवं थानों रेंज में कुल 19.8345 है0 वन भूमि का प्रत्यावर्तन भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को गैर वानिकी प्रयोग हेतु किया जाना है। परियोजना की कुल लम्बाई 20.600 कि0मी0 में से 9.170 कि0मी0 भाग वन क्षेत्रान्तर्गत से होकर गुजर रहा है, जिसमें विभिन्न प्रजाति एवं व्यास वर्ग के कुल 4442 वृक्ष प्रभावित हो रहें है। इसके अतिरिक्त उक्त परियोजना में गैर वन भूमि (सड़क किनारे) पर विभिन्न प्रजाति एवं व्यास वर्ग के 2.15 वृक्ष एवं नाप भूमि पर विभिन्न प्रजाति एवं व्यास वर्ग के 209 वृक्ष भी प्रभावित हो रहे है। परियोजना निदेशक द्वारा यह भी अवगत कराया गया कि संदर्भित परियोजना अन्तर्गत वन्यजीवों/हाथी के आवागमन हेतु 05 ऐलिफेन्ट अण्डरपास प्रस्तावित है। प्रमुख वन संरक्षक (हॉफ) एवं अन्य उपस्थित वनाधिकारियों द्वारा उक्त प्रस्ताव के अवलोकनोपरान्त यह पाया कि इस रोड़ पर | इस परियोजना से कुल 4442 पेड़ प्रभावित है जिनमें से 1085 छोटे पौधे (Saplings) हैं। छोटे पौधे (Saplings) को आसानी से प्रत्यारोपित किया जा सकता है। यदि छोटे पौधे (Saplings) को हटा दिया जाए तो काटे जाने वाले पेड़ों की संख्या 3357 होगी।<br>1. भानियावाला–ऋषिकेश वाया जौलीग्रांट एक महत्वपूर्ण राष्ट्रीय राजमार्ग है जो जौलीग्रांट हवाई अड्डे को देहरादून के सभी तरफ से कनेक्टिविटि प्रदान करता है। इस मार्ग के द्वारा चार धाम की ओर जाने वाले तीर्थयात्री एवं ऋषिकेश और मसूरी को जाने वाले पर्यटकों को हिमाचल, हरियाणा और पंजाब से कनेक्टीविटि प्रदान होती है। इस मार्ग पर वर्तमान समय में यातायात 17000 से 19000 पीसीयू (Passenger Car Unit) तक है। आई0आर0सी0 (Indian Road Congress) मानदंडों के अनुसार, दो–लेन राजमार्ग के संरेखण में ज्योमितीय कमी के कारण सुधार की आवश्यकता है। परियोजना का कार्य पूर्ण होने तक (वर्ष 2026) यातायात और बढ जाएगा। साथ ही इस मार्ग हाथीयों की आवाजाही रहती है जिससे कई बार यातायात बाधित होता है। उपरोक्त और कई अन्य कारकों के कारण, इस राजमार्ग को 4–लेन मानकों मे अपग्रेड करना अति आवश्यक है।<br>2. पूर्व में कई संरेखणों पर विचार किया जा चुका है **(संलग्नक–01)**, जिसमें से वर्तमान में प्रस्तावित संरेखण को स्वीकार कर लिया गया क्योंकि इसमें सबसे कम वन भूमि शामिल थी। चूंकि वर्तमान राजमार्ग पहले से ही मौजूद है और वर्तमान राजमार्ग के सामान्तर चौड़ीकरण प्रस्तावित है, इसलिए परियोजना हेतु केवल 10–12 मी0 अतिरिक्त वन भूमि की आवश्यकता है।<br>3. एलिवेटेड हाईवे का विकल्पः वृक्षों के पातन की संख्या कम से कम करने को दृष्टिगत रखते हुए वन क्षेत्र में 4–लेन राजमार्ग निर्माण हेतु न्यूनतम 23 मी0 आरओडब्ल्यू लिया गया है, जिसमें हाथी अण्डरपास (EUPs) की चौड़ाई भी 23 मी0 ही है। जब की नाप भूमि में 4–लेन |

Dhiman
प्रेषित
05/8


Generated from eOffice by RAJIV DHIMAN, RAJIV DHIMAN_CF SHIVALIK, CF SHIVALIK, FOREST DEPT on 07/08/2023 06:49 pm

I/31148/2023

I/31148/2023

| | | |
|---|---|---|
| | यातायात कम है एवं जाम की स्थिति नहीं होती है। साथ ही इस परियोजना के चौडीकरण में कुल 4442 वृक्ष प्रभावित हो रहें है, जो कि अत्यधिक हैं। यदि इतने वृक्षों का पातन उक्त परियोजना हेतु किया जायेगा तो इससे उक्त क्षेत्र के पारिस्थितिकी तंत्र पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की प्रबल सम्भावना है। अतः उक्त के दृष्टिगत प्रमुख वन संरक्षक (हॉफ) द्वारा परियोजना निदेशक, भा0रा0रा0प्रा0, पी0आई0यू0–वसन्त विहार (देहरादून) को निर्देश दिये गये कि इस परियोजना के 4–लेन चौड़ीकरण की आवश्यकता एवं उपयोगिता के संबंध में पुनर्विचार किया जाय। | चौड़ीकरण हेतु कुल 30–36 मी0 का भूमि अधिग्रहण किया गया है। अतः यदि पूर्ण वन क्षेत्र में उन्नत संरचना (Elevated Structure) प्रस्तावित की जाती है, तब भी वृक्षों के पातन की संख्या में कोई कमी नहीं आयेगी।<br>4. वन खंड में लगभग 8 कि0मी0 लम्बाई में 2–लेन से 4–लेन तक चौड़ीकरण प्रस्तावित है। जिसमें 04 हाथी अण्डरपास कुल 3.060 कि0मी0 की लंबाई में प्रस्तावित किए गये हैं। हाथी अण्डरपास वाले भाग में प्रभावित वृक्षों की संख्या लगभग 1500 (Saplings सहित) है।<br>5. इसके अलावा इस परियोजना में 1 मेजर ब्रिज, 2 माईनर ब्रिज तथा 19 कलवर्ट का भी प्रावधान वन क्षेत्र में किया गया है, जिससे जंगली जानवर क्रॉस कर सकते है।<br>6. साथ ही साथ यह भी अवगत कराना है कि यह प्रस्ताव दिनांक 16.04.2022 को परिवेश पोर्टल पर अपलोड किया गया था। परियोजना को परिवेश पोर्टल पर अपलोड करने से पूर्व एक प्रस्तुतिकरण राज्य सरकार के समक्ष दिनांक 11.11.2020 को किया गया था, जिसमें प्रमुख सचिव, वन, उत्तराखण्ड शासन, नोडल अधिकारी, वन विभाग उत्तराखण्ड, वन संरक्षक, शिवालिक, देहरादून भी उपस्थित थे। इस बैठक के उपरान्त जारी कार्यवृत्त **(संलग्नक–02)** में इस परियोजना के संरेखण पर वन्य जीवों के सुगम आवागमन सुनिश्चित करने के निर्देश के साथ लिखित सहमति प्रदान की गयी है। तदोपरान्त दिनांक 10.02.2021, 28.07.2021 को वन विभाग के विभिन्न अधिकारियों के साथ संयुक्त सर्वेक्षण किया गया। इस दौरान वन विभाग द्वारा दिये गये सभी की भा0रा0रा0प्रा0 द्वारा की गयी है। साथ ही साथ वन विभाग द्वारा 09 बार ई0डी0एस0 **(संलग्नक–03)** का जवाब भा0रा0रा0प्रा0 द्वारा दिया गया है तथा मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक (CWLW) के साथ भी दिनांक 07.07.2022 को संयुक्त निरीक्षण किया गया जिसमें विश्व वन्यजीव कोष (World Wildlife Fund) से प्रतिनिधि भी शामिल हुए, जिसके उपरान्त विश्व वन्यजीव कोष द्वारा दिये गये सुझावों को भा0रा0रा0प्रा0 द्वारा परियोजना में सम्मिलित किया गया।<br>7. अतः यह भी अवगत कराना है कि उक्त संरेखण वन्यजीव एवं वन क्षेत्र पर न्यूनतम प्रभाव को ध्यान में रखते हुए निर्धारित किया गया है एवं इस संरेखण पर विगत 2 वर्षों तक डी0पी0आर0 अध्ययन किया गया है तथा परियोजना के निर्माण हेतु टेंडर प्रक्रिया भी अंतिम चरण में है। |

अतः अनुरोध है कि उपरोक्तानुसार परियोजना निर्माण को राष्ट्रीय हित की दृष्टि से वन भूमि हस्तान्तरण हेतु अग्रेत्तर कार्यवाही करना चाहें।

**संलग्नकःकार्यदायी संस्था द्वारा प्रेषित सूचना एवं सलंग्नक।**

भवदीय,

प्रभागीय **वनाधिकारी**
**देहरादून वन प्रभाग, देहरादून।**

**पत्रांकः–** / तद्दिनांकित।

**प्रतिलिपिः–** अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, देहरादून को उनके उपरोक्त संदर्भित पत्र के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।

**प्रभागीय वनाधिकारी**
**देहरादून वन प्रभाग, देहरादून।**



Generated from eOffice by RAJIV DHIMAN, RAJIV DHIMAN_CF SHIVALIK, CF SHIVALIK, FOREST DEPT on 07/08/2023 06:49 pm